राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3125/2024

रामस्वरूप मीना

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस महानिदेशक, जयपुर रेंज, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.10.2024

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 24.05.2024 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलम्बन आदेश पारित हुए तीन माह से अधिक समय हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गई है। ऐसे में अपीलार्थी को बहाल किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर ने ओदश दिनांक 11.09.2024 जारी किया है, जिसमें निम्न प्रकार से निर्देश दिये हैं:–

   ''(i) कोई भी निलम्बन आदेश तीन माह से अधिक अवधि का ना हो, यदि इस सम्बन्ध में अपचारी कर्मी को आरोप पत्र जारी नहीं किया हो।

   (ii) यदि अपचारी कर्मी को आरोप पत्र जारी कर दिया गया है और निलम्बन को जारी रखना है, तो युक्तियुक्त आदेश प्रसारित करें कि निलम्बन आदेश को जारी रखने की आवश्यकता है।''

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर के उक्त आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। निलम्बन आदेश पारित होने के तीन माह बाद भी आरोप पत्र जारी नहीं होने की दशा में अपीलार्थी को बहाल नहीं किया गया है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा) सदस्य	(अनन्त भंडारी) सदस्य (न्यायिक)